



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082020-221278
CG-DL-E-21082020-221278

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2020/श्रावण 30, 1942

No. 412]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2020/SHRAVANA 30, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2020

सं. 82/2020-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 518(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के उपवाक्य (च) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद और सीमा-शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 27/2018-सीमा-शुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018, के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित करी जायेगी, यथा:-

“14. नासिक”।

[फा. सं. 451/11/2020-सीमा-शुल्क V]

आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 27/2018-सीमा-शुल्क (गै.टे.), दिनांक 28 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 295(अ), दिनांक 28 मार्च, 2018 तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2020

No. 82/2020-Customs (N.T.)

G.S.R. 518(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 27/2018-Customs (N.T.), dated, the 28th March, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 295(E), dated, the 28th March, 2018, namely:-

In the said notification, in the table, after Sl. No. 13 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be added, namely: -

“14. Nashik”.

[F. No. 451/11/2020-Cus. V]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 27/2018-Customs (N.T.), dated, the 28th March, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 295(E), dated, the 28th March, 2018.